

15

**राजस्थान सरकार**  
**वित्त विभाग**  
**(आय-व्यय अनुभाग)**

क्रमांक . प.4(77)वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 11 जुलाई, 2016

-: आज्ञा :-

संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ.6/लेखा/सीटीएडी/स्वीकृतियां/2013-14 स्वीकृति सं. 30/2016-17 दिनांक 28.06.2016 के क्रम में राशि रु. 168.18 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ अड़सठ लाख अठ्ठारह हजार) मात्र की सीमा तक के लिये मुख्य अभियंता (भवन एवं पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को निम्न बजट मद से राशि आहरित कर व्यय करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है:-

**मांग संख्या-30**

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण,

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,

(22)- बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)

[02]- छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण

17- वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रु. 168.18 लाख

इस शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय की सूचना प्रतिमाह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को उपलब्ध कराई जावेगी। इस शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय का अंक मिलान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

आज्ञा से,

*— seb —*

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 4 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7 संबंधित लेखाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) को भेजकर लेख है कि कार्यकारी एजेन्सी को राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावे।
- 8 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- 9 रक्षित पत्रावली।

*— seb —*

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)